भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *128

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

कार्यबल की तैनाती

***128. श्री संजय सिह:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुशल, अर्ध-कृशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में उनके वितरण सहित कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रम संहिता, 2019 के लागू होने के पश्चात सभी क्षेत्रों में ऐसे श्रमिकों के लिए राज्य-वार वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दरें क्या हैं;

(ग) समय पर वेतन न देने संबंधी उल्लंघनों और बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों और वसूल किए गए जुर्माने का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने घोषणा के बाद श्रम सुधारों के संबंध में भारतीय श्रम सम्मेलन या कोई अन्य त्रिपक्षीय परामर्श किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"कार्यबल की तैनाती" के संबंध में श्री संजय सिह द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *128 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान रोजगार को दर्शाने वाला (कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल सहित) अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 2017-18 में 46.8% से बढकर 2023-24 में 58.2% हो गया है। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर 48.1% से बढकर 62.1% तथा शहरी क्षेत्रों में 43.9% से बढकर 49.4% हो गया।

इसके अलावा, 2017-18 से 2023-24 तक व्यापक इंडस्ट्री डिवीज़न (अर्थात कृषि, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, पानी, आदि) द्वारा कामगारों का अनुमानित प्रतिशत वितरण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

(ख): न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित रोजगारों में काम करने वाले कामगारों पर लागू होते हैं। हालांकि, राज्य-वार न्यूनतम वेतन दर का ऐसा डेटा केंद्र सरकार के पास नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों को वेतन संहिता 2019 में शामिल कर लिया गया है, जो 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है।

वेतन संहिता, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को, उपयुक्त सरकारों के रूप में, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम वेतन दरें तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार देती है।

(ग): मुख्य श्रम आयुक्त (सी) संगठन मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (पेमेंट ऑफ वेज़स एक्ट, 1936) के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करता है। सीएलसी(सी) द्वारा राज्य और क्षेत्र-वार डेटा नहीं रखा जाता है। मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (पेमेंट ऑफ वेज़स एक्ट, 1936) के तहत पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में सभी 20 क्षेत्रों में किए गए निरीक्षण की पूरी जानकारी अनुबंध के तौर पर साथ में दी गई है।

(घ): श्रम संहिताओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, त्रिपक्षीय घटकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया गया है। श्रम नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और सभी हितधारकों के साथ अच्छी तरह बातचीत के बाद इन्हें फ़ाइनल किया जाएगा।

*****

अनुबंध

मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत निरीक्षणों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक)
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1667	801
2	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	7531	4369
3	सुधारी गईं अनियमितताओं की संख्या	2046	1018
4	शुरू किए गए अभियोगों की संख्या	1014	215
5	दोषसिद्धियों की संख्या	45	15
6	अरोपित जुर्माना (राशि रुपये में) किसी अपराध के लिए अभियोजन के परिणामस्वरूप न्यायालय (न्यायिक न्यायालयों) में जुर्माने के रूप में लगाए गए दंड।	96450	46205